माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

1— मदन पिता रामसिंग जाति बंजारा

2— श्रीपाल पिता रामसिंग जाति बंजारा

निवासी – ग्राम चंदावड़ तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन (म.प्र.) — — प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— सीताराम पिता गणपत जाति बंजारा

2— गोविंद पिता हमीद जाति बंजारा

निवासी— ग्राम चंदावड़ तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन (म.प्र.) —— प्रतिप्रार्थीगण

ओ पी जी पाठक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 1059–पीबीआर / 14 जिला – खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-6-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 3143–दो / 13 में पारित आदेश दिनांक 5–2–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।	
	2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा विवादित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	
	1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नही मिल पाई थी.	
	2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती	
	3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।	
	आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।	
	(एम के सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर	